प्रेषक,

श्रीश चन्द्र वर्मा,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0 प्र0, लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक: 30 मार्च, 2017**

विषयः- लोहिया ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु हडको से प्राप्त ऋण की धनराशि पर ब्याज के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष-2016-17 के लिए अनुदान संख्या-13 में वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या- जी0ओ0-12/सम्प्रेक्षा/पुनर्विनियोग/2016-2017 दिनांक 23 मार्च,2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-05/2017/216/38-4-17-17(बजट)/2015टी0सी0-।।। दिनांक 22.03.2017 द्वारा चतुर्थ त्रैमास के वांछित ब्याज की धनरशि रू0**-12,48,72,883.00** के सापेक्ष हडको ऋण के पुनर्भुगतान हेतु वर्ष 2016-17 के मूल बजट में प्राविधानित ब्याज की अवशेष धनराशि **रू0 8,04,93,136.00** निर्गत की गयी।

3- ग्रामीण आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-134/ग्रा0आ0परि0-199, दिनांक 03 फरवरी, 2017 में उल्लिखित विवरण के अनुसार लोहिया ग्रामीण आवास योजना के वित्त पोषण हेतु हडको से प्राप्त ऋण के सापेक्ष चतुर्थ त्रैमास के वांछित ब्याज की अवशेष धनराशि के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत हडको ऋण के ब्याज के भुगतान हेतु अवशेष धनराशि रू0 4,43,79,747.00 पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के **आदेश संख्या- आर0सी0-733/यू0 ओ0 ई-2-207(1)/दस-2017 दिनांक 29.03.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा रू0 4,43,79,747.00 (रू0 चार करोड़ तैतालिस लाख उन्नासी हजार सात सौ सैतालीस मात्र)** हडको को ब्याज के रूप में भुगतान करने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि योजना के शासनादेश संख्या-107/38-4-13-05(बजट)/2012, दिनांक 20-02-2013 में निहित प्राविधानों के कार्यान्वयन हेतु हडको से ली गयी धनराशि के सापेक्ष ऋण के भुगतान में व्यय की जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि में यदि कोई विचलन पाया जाता है, तो उसके लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर पर वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे।

(3) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, उसके पश्चात् ही किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु योजना की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से व्यय कर लिया जायेगा ।

(5) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

(6)- देय ब्याज के आगणन की शुद्धता, ब्याज की धनराशि के भुगतान के पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 स्तर पर तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति के द्वारा अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे।

2- तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-"2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-07-उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद द्वारा लोहिया ग्रामीण आवास योजना के लिए हडको से लिये गये ऋण पर ब्याज के भुगतान हेतु-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च, 2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
श्रीश चन्द्र वर्मा
विशेष सचिव ।

संख्या- 07/2017/129(1)/38-4-2017, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4
6- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
7- ग्रामीण आवास आयुक्त, उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद, सी-6/270, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8- क्षेत्रीय प्रमुख, हडको, पिकप भवन, लखनऊ।
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
10- गार्डबुक ।

आज्ञा से,
प्रभात कुमार श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या व नाम-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

वित्तीय वर्ष 2016-17

(धनराशि हजार रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा**	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)/ आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनयोग	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
अनुदान संख्या'13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक'2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान(ब्लाक बजट)-03-महंगाई भत्ता	74339	74339	44379.747	44379.747	29959.253
योग	74339	74339	44379.747	44379.747	29959.253
निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा**	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)/ आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय -07- उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद द्वारा लोहिया ग्रामीण आवास योजना के लिए हडको से लिये गये ऋण पर व्याज के भुगतान हेतु 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	0	44379.747	44379.747	44379.747	0
योग	0	44379.747	44379.747	44379.747	0

I- 03 मुख्य अधिष्ठान(ब्लाक बजट) में प्रश्नगत धनराशि रू0 7,44,19,747;00 की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016'17 में आवश्यकता न होने के कारण बचत है।

(2) स्तम्भ -8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ -9 में अकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

1. उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद द्वारा लोहिया ग्रामीण आवास योजना के लिए हडको से लिये गये ऋण पर ब्याज के भुगतान हेतु अनुदान संख्या-13 में आवश्यकता के सापेक्ष अवशेष बजट उपलब्ध न होने के कारण ।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0सी0-733/यू0ओ0-ई-2-207(1)/दस-2017 दिनांक 29 मार्च, 2017

सेवा में

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम

उ0प्र0 इलाहाबाद।

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग।

(बराती लाल)
उप सचिव,
वित्त विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in